न्याय आदेश दिनांक 2018 पृ.सं. 13/2018

25-6-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बोरोदा में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण बाबद अधिघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्धित होने के कारण मूल वाद के निस्तारण तक प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थीगण के स्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम बोरोदा तह. दौसा स्थित ख.नं. 574/1, 575/1, 581, 582, 591, 592, 757/1, 572, 573, 576, 520, 521, 522, 523, 714, 713, 715, 716, 717, 718, 738 से 737, 762/865, 787 से 795 के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रकरण कौशल कुमार बनाम नाथा के क्रम से तथा बादतकमील प्रतिवाद लेख मय्यार है एवं मूल वाद के संमिलन है। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बोरोदा के मामले आज में सुनाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला दौसा